अध्याय 13

हमारे मौलिक अधिकार एवं कर्त्तव्य

इस अध्याय में हम हमारे संविधान में वर्णित अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन अधिकारों के प्रयोग एवं इनके संरक्षण से सम्बन्धित प्रावधानों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। हमने संविधान की विशेषताओं को पिछले अध्याय में पढ़ा। हमारा संविधान लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। हम जानते हैं कि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश बनता है यानी देश के केन्द्र में व्यक्ति है। देश का विकास तभी सम्भव है जब व्यक्ति का विकास भी हो। हमारे संविधान में व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से चहुँमुखी विकास के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार सरकार के कठोर नियमों के विरूद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं।

'अधिकार' संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को प्राप्त होने वाली वे अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर हैं जिनसे वे अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अधिकार इस बात का प्रमाण भी है कि राज्य में व्यक्ति के महत्त्व और उसकी गरिमा को स्वीकार किया जाता है। हमारे संविधान में नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

हमारे मौलिक अधिकार

स्वतन्त्रता से पूर्व हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही जीवन की सुरक्षा का भी अधिकार नहीं था। जनता को ब्रिटिश सरकार के जन–विरोधी कार्यों एवं कानूनों का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा लड़ी गई आजादी की लड़ाई इन मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। इसके लिए स्वतन्त्रता सेनानियों को कई बार जेल भी जाना पड़ा था और हजारों को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी थी। सन् 1928 में 'नेहरू रिपोर्ट' में भी मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था।

हमारी संविधान सभा ने अपने 'उद्देश्य–प्रस्ताव' के अनुरूप ही संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास एवं जीवन की सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर निर्भर है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में सीधे शिकायत कर सकता है।

आइए, अब हम हमारे मौलिक अधिकारों की विस्तार से चर्चा करें–

1. **समानता का अधिकार–** समानता लोकतंत्र का आधार है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान में कानून के समक्ष समान माना गया है तथा सभी को कानून का समान संरक्षण मिलता है। संविधान के अनुसार राज्य अर्थात् सरकार किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। समाज में छुआछूत को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिकार द्वारा सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। केवल शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा स्वयं की योग्यता से अर्जित उपाधियाँ दी जाती रहेंगी।

2. **स्वतंत्रता का अधिकार–** संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को विविध प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं। इनमें प्रमुख हैं– (i) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (ii) शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन या सभा करने की स्वतंत्रता (iii) राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संगठन या संघ बनाने की स्वतन्त्रता (iv) भारत में अबाध भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता (v) व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगाार करने की स्वतन्त्रता और (vi) व्यक्ति को अपनी जीवन रक्षा तथा बचाव करने की कानूनी स्वतंत्रता। 86 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा को कानूनी अधिकार घोषित करके 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है।

3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार–** हमारे संविधान में सामाजिक असमानता, दासता एवं बेगारी से मुक्ति के लिए सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है। इसके अन्तर्गत मानव व्यापार यानी स्त्री पुरुषों का क्रय–विक्रय, जबरदस्ती किसी से काम लेना या बेगार लेना एवं 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाना दण्डनीय अपराध है।

4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार–** हमारा देश एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। सभी धर्म एवं सम्प्रदायों को अपनी संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबन्धन करने की स्वतन्त्रता है। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या सम्प्रदाय के विकास के लिए 'कर' देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य का अपना कोई धर्म या पंथ नहीं है और वह सभी धर्मो या पंथों को बराबर का सम्मान देता है।

5. **संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार–** इस अधिकार में नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाये रखने का अधिकार है। भाषायी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के साथ–साथ उनके संवर्धन के लिए शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने एवं उनकी देखभाल करने का अधिकार दिया गया है।

6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार–** इस अधिकार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'संविधान की 'आत्मा और हृदय' कहा है, क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक व्यर्थ है जब तक कि उसे प्रभावी बनाने का कोई साधन न दिया गया हो। यह अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों

को प्रभावी बनाने का एक साधन है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। जब नागरिकों के अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर उनके उपयोग में बाधा आती है तो वे इस अधिकार के अन्तर्गत न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों (आपातकाल) में इन मौलिक अधिकारों को सीमित या निलम्बित भी किया जा सकता है।

गतिविधि–

मौलिक अधिकारों का रंगीन चार्ट बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। विद्यार्थियों के समूह बनाकर प्रत्येक समूह से अलग–अलग अधिकार पर शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए।

हमारे मौलिक कर्त्तव्य

अधिकार एवं कर्त्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्त्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कर्त्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। जैसे वन, नदी, जल इत्यादि हमारे समाज की प्राकृतिक धरोहर हैं, हमें इनकी रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। इसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करना हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है तो उनके अभिभावकों का भी कर्त्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें।

हमारे संविधान द्वारा नागरिकों के 11 मौलिक कर्त्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं–

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो कि पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हों।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊँचाईयों को छू सके।

11. छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो, शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

इस प्रकार भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है तो उनसे कुछ कर्त्तव्यों का पालन करके एक जिम्मेदार नागरिक बनने की अपेक्षा भी करता है।

गतिविधि–

विद्यालय एवं परिवार के प्रति आपके कर्त्तव्यों की पहचान करके उनकी अलग–अलग सूची बनाइए।

शब्दावली

अधिकार – वे आवश्यकताएँ जो व्यक्तित्त्व के विकास के लिए नैतिक एवं कानूनी रूप से आवश्यक हो।

कर – सरकार द्वारा लिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान।

समानता – बराबरी ।

शोषण – खुद के लाभ के लिए दूसरों से जबरदस्ती करवाया गया काम।

अभ्यास प्रश्न

1. सही विकल्प को चुनिए –

(i) मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है–
(अ) समानता का अधिकार (ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(स) स्वतंत्रता का अधिकार (द) संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( )

(ii) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है, इसका संबंध है–
(अ) स्वतन्त्रता के अधिकार से (ब) शोषण के विरुद्ध अधिकार से
(स) संवैधानिक उपचारों के अधिकार से (द) समानता के अधिकार से ( )

2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौनसे मौलिक अधिकार से सम्बन्धित है ?

3. कौनसे मौलिक अधिकार के अन्तर्गत बालश्रम और बेगारी पर रोक लगाई गई है ?

4. अधिकारों और कर्त्तव्यों में क्या संबंध है?

5. 'समानता का अधिकार' का वर्णन कीजिए।

6. संविधान में वर्णित किन्हीं पाँच मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख कीजिए।

7. संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कीजिए।